संख्या-57/2018/962/छप्पन-18-108क्यू/81

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 जून, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश सरकार के विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग हेतु क्रेडिट फैसिलिटी प्राप्त किए जाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए प्रत्याभूति हेतु व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-94/2017/1541/छप्पन-17-108क्यू/81, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में अपने पत्र संख्या- 69/ना0उ0नि0/प्र0 भूति/एएआई/लखनऊ, दिनांक 10 मई, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर उत्तर प्रदेश सरकार के वायुयानों/हेलीकाप्टरों को लैंडिंग एवं पार्किंग हेतु क्रेडिट फैसिलिटी की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्याभूति के रूप में रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की मॉग की गई है। उक्त धनराशि प्रत्याभूति के रूप में जमा करने के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लैंडिंग एवं पार्किंग हेतु क्रेडिट सुविधा दी जायेगी। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए लैंडिंग एवं पार्किंग हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि प्रत्याभूति के रूप में जमा करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक '8674-सरकार द्वारा की गई प्रत्याभूति जमा-101-सरकार द्वारा की गई प्रत्याभूति-जमा-02-प्रत्याभूति जमा-01- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कार्नेट्स के लिए प्रत्याभूति जमा' के नामे डाला जायेगा।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-546/दस-2018, दिनांक 07 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 57/2018/962(1)/छप्पन-2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।